

न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी नभित मेहता (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 13 / 2020 फोरलेन

उनवान

1 शिवराज पिता पांचू खटीक निवासी हुरड़ा, तहसील-हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा

—प्रार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाधि) भीलवाड़ा।
2. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार जरिये परियोजना निदेशक (NHAI) 6-ए-1, आर.सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा।
3. ग्राम पंचायत रूपहेलीकलां तहसील हुरड़ा जरिये सरपंच/सचिव।

—अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरुद्ध
अवार्ड क्रमांक 154-156 दिनांक 31.08.2020

उपस्थित -

1. अधिवक्ता प्रार्थी- श्री भैरू लाल बापना।

निर्णय

दिनांक : 14.03.2024

1-

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3जी (5) एवं 3जी (7) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर अंकन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिकर निर्धारण प्रकरण सं. 148/2018 में दिनांक 09-12-2019 को पारित अपने आदेश में अंकित किया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 79 छ: लेन निर्माण/चौड़ा करने हेतु अतिरिक्त भूमि अवाधि के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाधि अधिनियम, 1956 की धारा 3 ए (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 21-08-2017 को प्रकाशित की गयी। सूचना प्रकाशित होने के उपरान्त विहित अधिनियम की धारा 3 डी (2) के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि समस्त भागों से मुक्त होकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार में निहित हो चुकी है। तहसीलदार हुरड़ा से अवाप्ताधीन भूमि का मौका सत्यापन रिपोर्ट एवं राजस्व रेकार्ड की प्रति के अनुसार ग्राम रूपहेली तहसील हुरड़ा की आराजी नं. 3956/1247 में से किस्म गै.मु.आबादी रकबा 4.04 बीघा में से 148 वर्गमीटर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण/चौड़ाकरण में अवाप्ताधीन है, जिस पर शिवराज पुत्र पांचू खटीक काबिज होकर मौके पर निर्माण कर रखा है। सत्यापन प्रतिवेदन के साथ बापी पट्टे एवं पंजीकृत विक्रयपत्र की छायाप्रतियां स्वामित्व के संबंध में प्रस्तुत की गयी। अवाप्ताधीन भूमि पर निर्मित निर्माण संरचना के संबंध में परियोजना निदेशक ने अधिकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार तथा स्वयं एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रमाणित एवं सत्यापित मूल्यांकन प्रतिवेदन भी शिवराज पिता पांचू के नाम का प्रस्तुत किया गया।

जिला कलक्टर
(आर्बिट्रेटर)
भीलवाड़ा

2

कर दी थी तो उस पट्टे वाली भूमि में ग्राम पंचायत का कोई भी अधिकार शेष नहीं रहा था। इसके बाद विक्रय दर विक्रय उक्त भूमि मुझ प्रार्थी परिवार में मालिकाना हक से निहित हो गयी। मैं प्रार्थी परिवारदी उक्त सड़क परियोजना में अवाप्त किये जाने वाले मेरे भूखण्ड व उस पर किये गये निर्माण का मुआवजा The Right of Fair Compensation & Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013 के अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी हूँ तथा प्रतिकर राशि के साथ-साथ ब्याज, शास्ति राशि व सोलेशियम राशि भी प्रार्थी परिवारदी प्राप्त करने का अधिकारी हूँ। अन्त में अंकन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा द्वारा प्रतिकर निर्धारण प्रकरण सं. 148/2018 में दिनांक 09.12.2019 को पारित अवार्ड को संशोधित कराया जाकर अवाप्ताधीन भूमि एवं निर्माण संरचना का कुलिया मुआवजा अकेले प्रार्थी परिवारदी को The Right of Fair Compensation & Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013 के अनुसार प्रदान कराया जावे और प्रतिकर राशि के साथ-साथ 15 प्रतिशत ब्याज, शास्ति राशि व सोलेशियम राशि भी प्रार्थी को प्रदान करायी जावे।

बाद जांच प्रकरण दिनांक 02.03.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र जारी किये गये व अधिनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री कौशलेन्द्र सिंह द्वारा अधिकार पत्र पेश किया जाकर दिनांक 13.09.2021 को जवाब पेश किया गया।



विपक्षी संख्या-2 NHAI द्वारा अपने जवाब में अंकन किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-79 निर्माण हेतु भूमि अवाप्त की गई है। खसरा नम्बर 3956/1247 कुल रकबा 0.0148 हैक्टयर भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन आबादी ग्राम पंचायत रूपाहेलीकलां के नाम से दर्ज है। प्रार्थी को सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मय दरस्तावेज उपस्थित होने हेतु समय दिया गया। प्रार्थी द्वारा जो भी दरस्तावेज सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, उनका संबंधित कार्यालय से सत्यापन करवाया गया तत्पश्चात् प्रार्थी के दरस्तावेजों के आधार एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि की किस्म एवं हितधिकारियों के नाम का अवलोकन करते हुए एवं राष्ट्रीय राजमार्ग, 1956 एवं RFACTLARR ACT 2013 के प्रावधानों के अनुसार अवार्ड पारित किया गया है जो सही है। प्रार्थी द्वारा जो भी स्वामित्व से संबंधित दरस्तावेज एवं आपत्तियां सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे उनका अवलोकन कर तथा विधि के प्रावधानों के अनुसार आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अवार्ड पारित किया गया है। उक्त अवाप्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम पंचायत रूपाहेली के नाम दर्ज है एवं उस पर निर्मित निर्माण संरचना का सर्वे अनुसार प्रार्थी के नाम अवार्ड पारित किया गया है जो कि सही है। सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त अवार्ड RFACTLARR ACT 2013 के प्रावधानों के अनुसार ही पारित किया गया है तथा उसी के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।

6- अप्रार्थी संख्या-2 NHAI द्वारा अपने जवाब में आगे अंकन किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार के राजपत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 को चौड़ा करने के साथ 06 लेन का बनाने हेतु अधिसूचना दिनांक 21.08.2017 के अन्तर्गत धारा 3ए की उपधारा (1) के अन्तर्गत ग्राम गालोदिया की खातेदारी एवं सरकारी भूमि की अवाप्ति हेतु दिनांक 02.09.2017 का प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण भाग द्वितीय खण्ड 3 उपखण्ड-ii के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 (क) की उप धारा (1) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशन किया गया है एवं उक्त अधिसूचना का समाचार पत्रों में दिनांक 02.09.2017 को विधिवत प्रकाशन कराया जाकर आपत्तिया आमंत्रित की गई। उक्त अधिसूचना के समाचार पत्रों में

जिला कलक्टर
(आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा

प्रकरण में ग्राम पंचायत, रूपहेली कलां तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। ग्राम पंचायत रूपहेली कलां द्वारा पत्र दिनांक 24.08.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवागत कराया कि ग्राम पंचायत रूपहेली कलां की गै.मु. आबादी आराजी संख्या 3958/1247 में से लादूलाल पिता हीरालाल खटीक ने मोहनलाल पिता रघुनाथ निवासी प्रतापपुरा के खरीदशुदा भूखण्ड जो की पट्टा का नाप 100X200 वर्ग फीट क्रय किया गया। वर्ष 2002 में 4 लेन निर्माण में लादूलाल पिता हीरालाल खटीक के पट्टे को 100X200 वर्गफीट वैध मानते हुए अवादि का भुगतान लादूलाल को किया गया। लादूलाल पिता हीरालाल खटीक ने 100X200 वर्गफीट में से 50X100 वर्ग फीट का भूखण्ड सत्यनारायण खटीक को बेचान किया गया। सत्यनारायण खटीक से शिवराज खटीक ने 50X100 वर्ग फीट का भूखण्ड क्रय किया गया। शिवराज पुत्र पाचू खटीक निवासी हुरड़ा के मुआवजा के संबंध में ग्राम पंचायत के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अतः नियमानुसार कार्यवाही की जाती है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं होगी।



विपक्षी का जवाब एवं ग्राम पंचायत की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण/पत्रावली बहस हेतु प्रस्तुत की गई। विपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता पूर्व पेशी पर भी उपस्थित नहीं हुए एवं पुनः अनुपस्थित जिससे प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पंचायत अधिनियम/नियमों के अनुसार प्रत्येक गांव में स्थित आबादी भूमि ग्राम पंचायत के नाम पर दर्ज रहती है जिसमें से पंचायत किसी भी व्यक्ति को आबादी भूमि का बेचान अथवा आवंटन कर सकती है। ग्राम पंचायत क्षेत्र रूपहेली में स्थित गै.मु. आबादी की आराजी सं. 3956/1247 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत रूपहेली कलां के नाम पर दर्ज थी, जिसमें से ग्राम पंचायत ने पत्रावली क्रमांक 2 दिनांक 07.06.1979 से बापी पट्टा क्रमांक 71 से एक भूखण्ड बापी पट्टे द्वारा मोहन बैरवा को प्रदान किया था। मोहन बैरवा ने अपने उक्त भूखण्ड में से 50 बार्ड 100 फीट का भूखण्ड पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 01.11.1994 से लादूलाल खटीक को विक्रय किया था, जिसने यह भूखण्ड सत्यनारायण पिता रामदेव खटीक को पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 09.12.1996 से विक्रय कर दिया और सत्यनारायण खटीक ने यह भूखण्ड प्रार्थी परिवारी शिवराज पिता पाचू खटीक निवासी हुरड़ा को दिनांक 12.09.2013 को पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा विक्रय कर दिया। सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 54 में विक्रय की परिभाषा इस तरह से की गयी है "Sale is a transfer of ownership in exchange for a price paid or promised of part paid and part promised." इस परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रार्थी परिवारी ने पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा सप्रतिफल उक्त भूखण्ड क्रय कर अपने आधिपत्य में प्राप्त किया था जिसका वह स्वामी है। जिससे इस भूखण्ड पर की गयी संरचना के साथ-साथ अवात्तशुदा भूमि का प्रतिकर भी प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। पट्टा तारीखी 07.06.1979 तीस वर्ष से अधिक पुराना है जिसकी सत्यता की उपधारणा धारा 90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत की जा सकती है। अन्त में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवादि) भीलवाड़ा द्वारा प्रतिकर निर्धारण प्रकरण सं. 148/2018 में दिनांक 09.12.2019 को पारित अवार्ड को संशोधित कराया जाकर अवात्ताधीन भूमि एवं निर्माण संरचना का कूलिया मुआवजा अकेले प्रार्थी परिवारी को The Right of Fair Compensation & Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013 के अनुसार प्रदान कराया जावे और प्रतिकर राशि के साथ-साथ 15 प्रतिशत ब्याज, शास्ति राशि व सोलेशियम राशि भी प्रार्थी को प्रदान करायी जावे।

यद्यपि दौराने बहस विपक्षी अधिवक्ता अनुपस्थित रहे किन्तु उनके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जवाब का न्यायहित में सम्यक अवलोकन व मनन किया गया व इसी को उनकी बहस मानी जाती है।

11-

मैंने प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन एवं मनन पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अति० जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा ग्राम रूपाहेली तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 3956/1247 में से किस्म नै.मु. आबादी रकबा 4.04 बीघा में से 148 वर्गमीटर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 छ.लेन निर्माण/चौड़ा करने हेतु अवाप्त की जाकर दिनांक 09.12.2019 को अवाई पारित किया गया। उक्त अवाई में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि का मुआवजा ग्राम पंचायत, रूपाहेलीकलां पंचायत समिति हुरड़ा के नाम एवं उक्त भूमि पर निर्माण संरचना का मुआवजा शिवराज पुत्र पांचू खटीक निवासी रूपाहेली कलां के नाम जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि का मुआवजा ग्राम पंचायत रूपाहेलीकलां के स्थान पर स्वयं को दिलाये जाने हेतु अनुतोष चाह रहा है।



हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से परीक्षण किया। बाद परीक्षण पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अवाई क्रमांक भूमि अवाप्ति/प्रतिकर/प्र0सं0/148/2018 दिनांक 09.12.2019 में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि पर स्थित निर्माण संरचनाओं का मुआवजा प्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया है एवं कब्जाधारक भी प्रार्थी को ही बताया गया है। साथ ही उक्त अवाई आदेश में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा उक्त भूमि का मुआवजा शिवराज खटीक के सुनवाई के अधिकार को सुरक्षित रखते हये ग्राम पंचायत, रूपाहेलीकला के नाम पर जारी कर उक्त अवाई में स्पष्ट अंकन किया हुआ है कि- "सचिव ग्राम पंचायत रूपाहेली/विकास अधिकारी पंचायत समिति, हुरड़ा को निर्देश दिये जाते है कि श्री शिवराज पुत्र पांचू खटीक को सुनवाई का अवसर दिया जावे एवं ग्राम पंचायत रूपाहेलीकला द्वारा जारी पट्टा उक्त अवाप्ताधीन आराजी संख्या 3956/1247 में स्थित होने तथा पट्टा विधिक रूप से जारी होकर वैध होने एवं वर्तमान में अस्तित्व में होने संबंधी तथ्यों की जांच की जाकर उक्त भू-भाग का वैधानिक स्वामित्व विपक्षी संख्या 2 का सिद्ध होने की स्थिति में उक्त भूमि के प्रतिकर राशि का भुगतान श्री शिवराज पुत्र पांचू खटीक को कर दिया जावे। यदि हितबद्धधारी विपक्षी संख्या 02 ग्राम पंचायत द्वारा की जाने वाली कार्यवाही/निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो विकास अधिकारी पंचायत समिति, हुरड़ा के पास भुगतान प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। विकास अधिकारी बाद जांच गुणावगुण पर हितबद्ध को भुगतान करने/नहीं करने संबंधी निर्णय ले सकेंगे जिसकी पालना ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगी।" इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अवाई में अवाप्ताधीन भूमि की प्रतिकर राशि ग्राम पंचायत रूपाहेलीकला जरिये विकास अधिकारी, हुरड़ा को भुगतान कर दी गई है एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त भू-भाग का वैधानिक स्वामित्व शिवराज खटीक का सिद्ध होने की स्थिति में उक्त मुआवजा/प्रतिकर राशि का भुगतान शिवराज पुत्र पांचू खटीक का कर दिये जाने के निर्देश दिये गये है।

13-

ग्राम पंचायत रूपाहेली कलां द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट दिनांकित 24.08.2023 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर बताया कि प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जाती है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम पंचायत, रूपाहेली कलां द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह भी अवगत कराया है कि वर्ष 2002 में दलेन निर्माण में श्री लादूलाल पिता हीरालाल खटीक के पट्टे को 100 गुणा 200 वर्ग फीट वैध मानते हुए अवाप्ति का भुगतान श्री लादूलाल को किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायालय का यह मत है कि इस प्रकरण में प्रार्थी परिवारदी ही यदि प्रश्नगत भू-भाग का वैधानिक स्वामित्व रखता है तो उसे भी उसके द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा क्रय किये गये भूखण्ड में से सड़क निर्माण में अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा/प्रतिकर दिया जाना न्यायोचित है।

जिला कलक्टर
(आर्बीट्रटर)
भीलवाड़ा

उपरोक्त सम्पूर्ण परीक्षण उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा द्वारा पारित प्रश्नगत अर्वार्ड संख्या 148/2018 दिनांकित 09.12.2019 पूणतया वैध एवं उचित है, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रश्नगत अर्वार्ड में भूमि का मुआवजा शिवराज खटीक के सुनवाई के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये ग्राम पंचायत, रूपाहेलीकला के नाम पर जारी किया गया है जिसमें सचिव ग्राम पंचायत रूपाहेली/विकास अधिकारी पंचायत समिति, हुरड़ा को स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि श्री शिवराज पुत्र पांचू खटीक को सुनवाई का अवसर दिया जावे एवं ग्राम पंचायत रूपाहेलीकला द्वारा जारी पट्टा उक्त अवाप्ताधीन आराजी संख्या 3956/1247 में स्थित होने तथा पट्टा विधिक रूप से जारी होकर वैध होने एवं वर्तमान में अस्तित्व में होने संबंधी तथ्यों की जाच की जाकर उक्त भू-भाग का वैधानिक स्वामित्व विपक्षी संख्या 2 का सिद्ध होने की स्थिति में उक्त भूमि के प्रतिकर राशि का भुगतान श्री शिवराज पुत्र पांचू खटीक को कर दिया जावे। उक्त निर्देशों की पालना में सचिव, ग्राम पंचायत रूपाहेली कलां/विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हुरड़ा द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने अथवा नहीं किये जाने संबंधी कोई दस्तावेजात अथवा आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3जी(5) एवं 3(जी)7 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 आंशिक स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव-

आदेश

अतः प्रार्थी परिवारी का यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) एवं 3(जी)7 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं प्रश्नगत अर्वार्ड में जारी निर्देशों की पालना में सचिव, ग्राम पंचायत रूपाहेली कलां/विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हुरड़ा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा को निर्देश दिये जाते है कि वे अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश/अर्वार्ड क्रमांक भूमि अवाप्ति/प्रतिकर/प्रकरण सं./148/2018 दिनांक 09.12.2019 की पालना में अवाप्तशुदा भूमि की प्रतिकर राशि 6,75,447/- रूपये का भुगतान संबंधित हितबद्ध व्यक्ति को किये जाने बाबत प्रार्थी को सुनकर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात व तथ्यों का विधिक परीक्षण कर, प्रकरण का एक माह में नियमानुसार निस्तारण करें तथा प्रार्थी शिवराज खटीक को निर्देशित किया जाता है कि आप प्रश्नगत भू-भाग पर अपने स्वामित्व से संबंधित समस्त दस्तावेजात लेकर शीघ्रताशीघ्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। अधिनस्थ न्यायालय का तलबिदा रिकॉर्ड मय निर्णय की प्रति अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा को अविलम्ब लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)

जिला कलक्टर

(भीलवाड़ा)

भीलवाड़ा

